न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
05 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	16.01.2023	13.07.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1–श्री देवकी नन्दन मंगल पुत्र श्री श्याम लाल मंगल विक्रेता/मैनेजर मैसर्स हरिओम मेडिकल एजेन्सीज गणेश रोड देवली जिला टोंक निवासी घोषी मौहल्ला वार्ड नं. 9 देवली जिला टोंक
2–श्रीमति रिंकू मंगल पत्नि श्री देवकी नन्दन मंगल प्रोपरायटर मैसर्स हरिओम मेडिकल एजेन्सीज गणेश रोड देवली जिला टोंक निवासी घोषी मौहल्ला वार्ड नं. 9 देवली जिला टोंक
3–श्री नितिन कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार एफ.बी.ओ. मैसर्स हरि मेडी फार्मा प्रा. लि. एफ–959 द्वितीय फ्लोर रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर निवासी वार्ड नं. 7, पीलीबंगा हनुमानगढ राज.
4–श्री अमरदीप बंसल प्रोपरायटर मैसर्स ऐन्टेक्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 413 ईपीआईपी सेक्टर–53, इण्ड. ईस्टेट, कुण्डली सोनीपत हरियाणा निवासी मकान नं. 111, पॉकेट आई–4, रोहिणी, सेक्टर 16 रोहिणी सेक्टर–15, नोर्थ वेस्ट दिल्ली
5–श्रीमति अनु गुप्ता पत्नि श्री राकेश गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स जियोफेरी मेनर्स प्लॉट नं. 414 ईपीआईपी सेक्टर–53, इण्ड. ईस्टेट, कुण्डली सोनीपत हरियाणा।
..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री कैलाश सिंह उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.07.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.06.2022 को समय 12:31 पी.एम पर मैसर्स हरिओम मेडिकल एजेन्सीज गणेश रोड देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री देवकी नन्दन मंगल पुत्र श्री श्याम लाल मंगल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री देवकी नन्दन मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता/मैनेजर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर औषधि अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्रीमति रिंकू मंगल पत्नि श्री देवकीनन्दन मंगल को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रास्यिूटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड (Dietary Supplement Syrup Neutraceuticals Elder Brand)** दुकान की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रैक में 200—200 एम.एल. के 27 नग मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री देवकी नन्दन मंगल को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रासिटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड** जिसके बैच नं. जीएमबी—08/50 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200—200 एम.एल. के 8 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रासिटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड** 200—200 एम.एल. के 8 नग में से 2—2 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई—3195 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई—3195 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री देवकी नन्दन मंगल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स हरि मेडी फार्मा प्रा. लि. एफ—959 द्वितीय फ्लोर रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/2136 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2103/एक्ट/2022/2403 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रासिटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (3)(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट आवेदक ने विक्रेता को प्रेषित की।

वारंटी होने के कारण मैसर्स हरि मेडी फार्मा के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स ऐन्टेक्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 413 ईपीआईपी सेक्टर—53, इण्ड. ईस्टेट, कुण्डली सोनीपत हरियाणा का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया तथा मैसर्स ऐन्टेक्स प्रा. लि. ने मैसर्स

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जियोफेरी मेनर्स प्लॉट नं. **414** ईपीआईपी सेक्टर–53, इण्ड. ईस्टेट, कुण्डली सोनीपत हरियाणा का बिल पेश किया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री कैलाश सिंह उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रासिटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **डाईटरी सप्लीमेंट सिरप न्यूट्रासिटिकल्स ऐल्डर ब्राण्ड** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्या[illegible]धिकारी एवं
अतिरिक्त जि[illegible] मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0